



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

DOI : 03.2021-11278686

ISSN : 2582-8568

IMPACT FACTOR : 8.428 (SJIF 2026)

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ और आधुनिक कल्याणकारी राज्य: एक तुलनात्मक अध्ययन (Administrative Policies of Chhatrapati Shivaji Maharaj and the Modern Welfare State: A Comparative Study)

डॉ. मगन लाल

सहायक आचार्य,

(राजनीति विज्ञान विभाग),

एस.पी.यू. (पी.जी.) कॉलेज, फालना,

पाली – (राजस्थान, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686 DOI Link :: <https://doi-ds.org/doilink/04.2026-47864242/IRJHIS2604002>

सारांश:

यह अध्ययन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण आधुनिक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा के संदर्भ में करता है। गुणात्मक एवं तुलनात्मक शोध पद्धति के आधार पर ऐतिहासिक स्रोतों तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का समन्वित विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिवाजी का शासन लोककल्याण, न्याय, सुरक्षा एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित था। उनकी अष्टप्रधान व्यवस्था, संतुलित एवं न्यायसंगत कर नीति, त्वरित न्याय प्रणाली तथा धार्मिक सहिष्णुता एक प्रभावी एवं जनोन्मुखी प्रशासन को दर्शाती हैं। दूसरी ओर, आधुनिक कल्याणकारी राज्य सामाजिक सुरक्षा, समानता, नागरिक अधिकारों एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने पर बल देता है। तुलनात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि दोनों व्यवस्थाओं के संरचनात्मक स्वरूप में अंतर है, तथापि शिवाजी की नीतियों में आधुनिक कल्याणकारी राज्य के अनेक मूल तत्व प्रारंभिक रूप में विद्यमान थे। अतः उनका प्रशासन समकालीन शासन के लिए प्रेरणास्रोत एवं प्रासंगिक मॉडल है।

मुख्य शब्द : छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रशासनिक नीतियाँ, कल्याणकारी राज्य, लोककल्याण, राजधर्म, सुशासन, भारतीय ज्ञान परम्परा

1. अध्ययन की भूमिका एवं परिप्रेक्ष्य :

भारतीय राजनीतिक परम्परा में राज्य को केवल सत्ता के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि लोककल्याण के साधन के रूप में देखा गया है। प्राचीन भारतीय चिंतन में शासन का मूल उद्देश्य “प्रजा के सुख और सुरक्षा” को सुनिश्चित करना रहा है, जिसे राजधर्म के रूप में परिभाषित किया गया है (Sharma, 2005)। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि राज्य की स्थिरता प्रजा की संतुष्टि पर निर्भर करती है, और यदि प्रजा दुखी है तो राज्य भी अस्थिर हो जाता है (Kautilya, 2011)।

इसी बौद्धिक परम्परा का व्यवहारिक रूप मध्यकालीन भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में देखने को मिलता है। उन्होंने एक ऐसे प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण किया जिसमें शासन का उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि जनहित, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना था। इस प्रकार, यह अध्ययन भारतीय ज्ञान परम्परा और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के बीच एक सेतु स्थापित करने का प्रयास करता है।

17 वीं शताब्दी में शिवाजी का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। उस समय प्रशासनिक अव्यवस्था, अत्यधिक कर-भार और सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याएँ व्यापक थीं। ऐसे परिवेश में छत्रपति शिवाजी महाराज ने “सुराज्य” की स्थापना का लक्ष्य रखा, जो न्याय, सुरक्षा और उत्तरदायी शासन पर आधारित था (Sardesai, 1968)। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान परिषद, संगठित सैन्य प्रणाली, सुदृढ़ किलेबंदी तथा प्रभावी राजस्व नीति जैसे तत्व शामिल थे। विशेष रूप से उनकी नीतियाँ प्रजा-हितैषी थीं—किसानों पर अत्यधिक कर नहीं लगाया गया, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। जदुनाथ सरकार (Sarkar, 1919) के अनुसार, शिवाजी का शासन “नैतिकता और अनुशासन पर आधारित एक आदर्श प्रशासन” था। इस दृष्टि से उनका शासन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक लोककल्याणकारी मॉडल के रूप में उभरता है।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में “कल्याणकारी राज्य” की अवधारणा 20 वीं शताब्दी में विशेष रूप से विकसित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। T.H. Marshall (1950) ने नागरिकता के तीन आयाम—नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार—को रेखांकित करते हुए राज्य की भूमिका को व्यापक बनाया। इसी प्रकार, William Beveridge (1942) ने अपने प्रतिवेदन में पाँच प्रमुख सामाजिक समस्याओं—गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेरोजगारी—को समाप्त करने के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका पर बल दिया। आधुनिक कल्याणकारी राज्य इन समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। इस प्रकार, वेल्फेयर स्टेट की अवधारणा राज्य को केवल नियंत्रक नहीं, बल्कि “सहायक एवं संरक्षक” के रूप में प्रस्तुत करती है।

भारतीय ज्ञान परम्परा में लोककल्याण की अवधारणा अत्यंत गहराई से निहित है। “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” का सिद्धांत शासन के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है। राजधर्म के अंतर्गत शासक को प्रजा के कल्याण, न्याय और सुरक्षा का उत्तरदायी माना गया है (Sharma, 2005)। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ इसी परम्परा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने शासन को नैतिक दायित्व के रूप में स्वीकार किया और प्रजा के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा जैसे तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान परम्परा में लोककल्याण केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि व्यवहारिक शासन का आधार रही है।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य (Rationale of the Study) :

वर्तमान समय में जब प्रशासनिक तंत्र जटिल होता जा रहा है और नागरिकों की अपेक्षाएँ बढ़ रही हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐतिहासिक अनुभवों का पुनर्मूल्यांकन करें। आधुनिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनकल्याण जैसे

सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जा रहा है, जो कि किसी हद तक शिवाजी के प्रशासन में पहले से ही विद्यमान थे। इस अध्ययन का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि यह शिवाजी की नीतियों और आधुनिक वेलफेयर स्टेट के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इससे न केवल भारतीय राजनीतिक परम्परा की प्रासंगिकता स्पष्ट होती है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों की जड़ें भारतीय संदर्भ में कितनी गहरी हैं।

यह अध्ययन नीति-निर्माताओं और शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास करता है।

3. शोध प्रश्न एवं शोध उद्देश्य :

शोध प्रश्न (Research Questions) :

इस अध्ययन को दिशा देने हेतु निम्नलिखित प्रमुख शोध प्रश्न निर्धारित किए गए हैं—

- (i) क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के मूल तत्वों से मेल खाती हैं?
- (ii) शिवाजी की नीतियाँ वर्तमान राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में कितनी प्रासंगिक हैं?
- (iii) क्या शिवाजी का शासन एक प्रारंभिक (Proto-type) कल्याणकारी राज्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है?

शोध उद्देश्य (Research Objectives) :

- (i) छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण करना।
- (ii) उनकी नीतियों में निहित लोककल्याणकारी तत्वों की पहचान करना।
- (iii) आधुनिक कल्याणकारी राज्य से तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (iv) वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

4. साहित्य समीक्षा (Review of Literature) :

भारतीय इतिहास एवं राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व और उनकी प्रशासनिक नीतियाँ विशेष महत्व रखती हैं। इस संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों ने उनके शासन का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से जदुनाथ सरकार (Sarkar, 1919) ने अपनी प्रसिद्ध कृति Shivaji and His Times में शिवाजी के प्रशासन को एक अनुशासित, नैतिक और जनोन्मुखी व्यवस्था के रूप में चित्रित किया है। उनके अनुसार, शिवाजी ने शासन को केवल शक्ति-संचालन का माध्यम नहीं, बल्कि प्रजा के हितों की रक्षा का साधन माना। इसी प्रकार जी. एस. सरदेसाई (Sardesai, 1968) ने शिवाजी को एक राष्ट्रनिर्माता के रूप में स्थापित करते हुए उनकी प्रशासनिक दक्षता और प्रजा-हितैषी नीतियों को विशेष महत्व दिया है। वे मानते हैं कि शिवाजी ने भारतीय परम्पराओं के अनुरूप एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल और प्रभावी थी।

इसके अतिरिक्त सतीश चंद्र (Chandra, 2004) ने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शिवाजी के उदय को एक

महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा है। उनके अनुसार, शिवाजी का प्रशासन उस समय की प्रचलित शोषणकारी व्यवस्थाओं के विपरीत एक संतुलित, उत्तरदायी और संगठित शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन सभी विद्वानों के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि शिवाजी का प्रशासन केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए भी एक सशक्त आधार प्रदान करता है।

भारतीय राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से भी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भारतीय ज्ञान परम्परा में राजधर्म की अवधारणा के अंतर्गत शासक को प्रजा के कल्याण, न्याय और सुरक्षा का संरक्षक माना गया है (Sharma, 2005)। शिवाजी के शासन में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उनकी नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और प्रजा के हितों की रक्षा जैसे तत्व प्रमुख थे। “हिंदवी स्वराज्य” की उनकी अवधारणा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक न्यायपूर्ण और लोककल्याणकारी राज्य की कल्पना निहित थी। इस प्रकार, शिवाजी को भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक ऐसे सेतु के रूप में देखा जा सकता है, जो प्राचीन भारतीय परम्पराओं और आधुनिक शासन सिद्धांतों के बीच संबंध स्थापित करता है।

आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में “कल्याणकारी राज्य” (Welfare State) की अवधारणा को समझने के लिए T. H. Marshall और William Beveridge के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। Marshall (1950) ने नागरिकता को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में विभाजित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि राज्य का दायित्व केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करना भी है। उनके अनुसार, सामाजिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र अधूरा है। इसी प्रकार Beveridge (1942) ने अपने प्रसिद्ध प्रतिवेदन में समाज की पाँच प्रमुख समस्याओं—गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेरोजगारी—की पहचान करते हुए राज्य की सक्रिय भूमिका पर बल दिया। उन्होंने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की, जो नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे और उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाए।

इन सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें राज्य को एक “सक्रिय संरक्षक” के रूप में देखा जाता है, जो नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि इन सिद्धांतों की तुलना शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि उनके शासन में भी लोककल्याण, न्याय और सुरक्षा जैसे तत्व प्रमुख थे, यद्यपि उनकी संरचना और स्वरूप आधुनिक वेलफेयर स्टेट से भिन्न थे।

इसके अतिरिक्त, पीएचडी स्तर पर भी शिवाजी और उनके प्रशासन पर विभिन्न शोध कार्य किए गए हैं, जिनमें उनके शासन की संरचना, नीतियों और राजनीतिक दर्शन का विश्लेषण किया गया है। उदाहरणस्वरूप, Deshmukh (2012) ने अपने शोध में शिवाजी की प्रशासनिक प्रणाली को “लोकहित आधारित और विकेन्द्रीकृत शासन” के रूप में प्रस्तुत किया है। Patil (2015) के अध्ययन में शिवाजी की राजस्व एवं सैन्य नीतियों का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि उनका प्रशासन आर्थिक न्याय और सुरक्षा के संतुलन पर आधारित था। इसी प्रकार Kulkarni (2018) ने शिवाजी के शासन को भारतीय राजनीतिक परम्परा और आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में व्याख्यायित किया है।


हालाँकि, इन शोधों में भी अधिकांशतः शिवाजी के प्रशासन का विश्लेषण ऐतिहासिक और वर्णनात्मक दृष्टिकोण तक सीमित रहा है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम किया गया है। दूसरी ओर, वेलफेयर स्टेट पर आधारित शोध मुख्यतः पश्चिमी संदर्भों पर केंद्रित हैं, जहाँ भारतीय ऐतिहासिक अनुभवों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है।

इस प्रकार, स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परम्परा, शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों और आधुनिक वेलफेयर स्टेट के बीच एक समन्वित और तुलनात्मक अध्ययन का अभाव है। यही इस अध्ययन का प्रमुख शोध-अंतर (Research Gap) है। प्रस्तुत शोध इसी अंतर को भरने का प्रयास करता है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संदर्भ में किया जाएगा, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन की समकालीन प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित किया जा सके।

5. सैद्धांतिक ढांचा (Theoretical Framework) :

किसी भी शोध अध्ययन को वैचारिक गहराई प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ सैद्धांतिक ढांचा आवश्यक होता है। प्रस्तुत अध्ययन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण आधुनिक कल्याणकारी राज्य तथा भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रमुख सिद्धांतों के आलोक में किया गया है। यह ढांचा मुख्यतः तीन प्रमुख आयामों—कल्याणकारी राज्य, राजधर्म तथा सुशासन—पर आधारित है।

चित्र 1: अध्ययन का सैद्धांतिक ढांचा



स्रोत: शोधकर्ता द्वारा निर्मित

उपरोक्त सैद्धांतिक ढांचा यह स्पष्ट करता है कि भारतीय ज्ञान परम्परा में निहित राजधर्म की अवधारणा शिवाजी के प्रशासन का मूल आधार थी, जिसमें लोककल्याण, नैतिकता एवं उत्तरदायित्व प्रमुख तत्व थे। शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों में सुशासन के सिद्धांत—जैसे पारदर्शिता, दक्षता एवं उत्तरदायित्व—का प्रभावी अनुप्रयोग देखने को मिलता है। यही तत्व आगे चलकर आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में विकसित हुए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, समानता एवं नागरिक अधिकारों को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इस प्रकार, शिवाजी का प्रशासन आधुनिक वेलफेयर स्टेट की एक वैचारिक पूर्वपीठिका के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधुनिक राजनीतिक चिंतन का एक केंद्रीय तत्व है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास को सुनिश्चित करना है। T. H. Marshall (1950) के अनुसार, नागरिकता का वास्तविक स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक अधिकार प्रदान करे। इसी क्रम में William Beveridge (1942) ने सामाजिक सुरक्षा को राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी के रूप में स्थापित किया। सामाजिक सुरक्षा, समानता एवं न्याय—ये तीनों तत्व मिलकर आधुनिक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला का निर्माण करते हैं।

भारतीय ज्ञान परम्परा में शासन का मूल उद्देश्य “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” के सिद्धांत पर आधारित रहा है, जो राज्य को लोककल्याण का साधन मानता है। राजधर्म की अवधारणा के अंतर्गत शासक को प्रजा के प्रति उत्तरदायी, न्यायप्रिय एवं धर्मनिष्ठ माना गया है (Sharma, 2005)। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों में यह परम्परा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जहाँ लोककल्याण, धार्मिक सहिष्णुता एवं न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में वैधता (Legitimacy) का विशेष महत्व है, जो किसी भी शासन की स्थिरता एवं स्वीकार्यता का आधार होती है। Max Weber (1978) के अनुसार, वैधता के बिना सत्ता टिकाऊ नहीं हो सकती। शिवाजी के शासन को उनकी न्यायप्रियता एवं लोककल्याणकारी नीतियों के कारण व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ, जो उनकी वैधता का प्रमुख आधार था। इसी क्रम में सुशासन (Good Governance) की अवधारणा आधुनिक प्रशासनिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावशीलता एवं जनसहभागिता जैसे तत्व शामिल हैं। शिवाजी के प्रशासन में इन सिद्धांतों का व्यवहारिक स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

लोककल्याणकारी राजनीति इस बात पर बल देती है कि राज्य की नीतियाँ जनकल्याण को केंद्र में रखकर निर्मित हों। शिवाजी की नीतियाँ—विशेषकर किसानों के हितों की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक समरसता—इस दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतीत होती हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ भारतीय ज्ञान परम्परा और आधुनिक कल्याणकारी राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करती हैं। उनका प्रशासन केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों—विशेषकर कल्याणकारी राज्य, वैधता एवं सुशासन—के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक है। इस प्रकार, प्रस्तुत सैद्धांतिक ढांचा अध्ययन को एक समन्वित, तार्किक एवं गहन विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।

6. अनुसंधान पद्धति (Research Methodology) :

प्रस्तुत अध्ययन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संदर्भ में किया गया है, जिसके लिए गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों—जैसे पुस्तकें, शोध लेख, पीएचडी शोध प्रबंध एवं ऐतिहासिक दस्तावेज—पर आधारित है। शोध में ऐतिहासिक (Historical) विधि के माध्यम से शिवाजी की नीतियों का अध्ययन किया गया तथा तुलनात्मक (Comparative) विधि द्वारा उनकी तुलना आधुनिक वेलफेयर स्टेट के सिद्धांतों से की गई है। इस प्रकार, यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के समन्वय से तार्किक एवं संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

7. शिवाजी की प्रशासनिक नीतियाँ (Administrative Policies of Shivaji) :

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ भारतीय इतिहास में एक सुव्यवस्थित, उत्तरदायी और लोककल्याणकारी शासन के आदर्श रूप में देखी जाती हैं। उनका प्रशासन केवल शक्ति-संचालन तक सीमित नहीं था, बल्कि न्याय, सुरक्षा और प्रजा के समग्र कल्याण पर आधारित था। निम्नलिखित उपखंडों में उनकी प्रमुख प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है—

(अ) शासन संरचना (Administrative Structure) :

शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार एक सुव्यवस्थित और संगठित शासन ढाँचा था। इसके केंद्र में अष्टप्रधान मंडल (Council of Eight Ministers) था, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग मंत्री नियुक्त किए गए थे—जैसे पेशवा (प्रधानमंत्री), अमात्य (वित्त मंत्री), सुमंत (विदेश मंत्री), सेनापति (सैन्य प्रमुख) आदि। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था (Sarkar, 1919)।

इसके अतिरिक्त, शिवाजी ने प्रशासन को विकेन्द्रीकृत (Decentralized) स्वरूप प्रदान किया। स्थानीय स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए, जो सीधे प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे। इससे न केवल शासन की पहुँच गाँव-गाँव तक सुनिश्चित हुई, बल्कि स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान भी संभव हुआ। सरदेसाई (Sardesai, 1968) के अनुसार, यह विकेन्द्रीकरण शिवाजी के प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी, जिसने शासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया।

(ब) राजस्व एवं आर्थिक नीतियाँ :

शिवाजी की आर्थिक नीतियाँ मुख्यतः किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। उन्होंने कर-व्यवस्था को सरल, न्यायसंगत और पारदर्शी बनाया। किसानों से केवल उचित कर लिया जाता था, जो सामान्यतः उत्पादन का एक निश्चित भाग होता था। अत्यधिक कराधान और शोषण को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिससे कृषि उत्पादन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला (Chandra, 2004)।

शिवाजी के शासन में चाउथ और सरदेशमुखी जैसी राजस्व प्रणालियाँ भी लागू थीं। चाउथ एक प्रकार का कर था, जो बाहरी क्षेत्रों से सुरक्षा के बदले लिया जाता था, जबकि सरदेशमुखी एक अतिरिक्त कर था, जो प्रशासनिक अधिकार के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। यद्यपि इन करों की आलोचना भी की गई है, फिर भी यह स्पष्ट है कि इनसे प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य की सुरक्षा

और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में किया जाता था (Sardesai, 1968)।

इस प्रकार, शिवाजी की आर्थिक नीतियाँ संतुलित, व्यावहारिक और लोकहित पर आधारित थीं।

(स) न्याय व्यवस्था (Judicial System) :

शिवाजी की न्याय व्यवस्था त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी थी। उन्होंने न्याय को शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना और यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले। न्यायिक निर्णयों में पक्षपात को स्थान नहीं दिया गया और अपराध के अनुसार उचित दंड निर्धारित किया जाता था (Sarkar, 1919)।

विशेष रूप से, उनकी न्याय प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण (Secular Outlook) अपनाया गया था। विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, जिससे सामाजिक समरसता और स्थिरता बनी रही। यह विशेषता उनके शासन को अन्य समकालीन व्यवस्थाओं से अलग करती है और आधुनिक न्याय के सिद्धांतों के निकट लाती है।

(द) सैन्य एवं सुरक्षा नीति :

शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों में सुरक्षा और सैन्य संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने एक अनुशासित, संगठित और कुशल सेना का निर्माण किया, जो उनके राज्य की सुरक्षा का मुख्य आधार थी। उनकी सेना में घुड़सवार, पैदल सैनिक और नौसेना शामिल थी, जो उस समय के लिए एक उन्नत सैन्य संरचना मानी जाती थी (Chandra, 2004)।

इसके अतिरिक्त, शिवाजी की किलेबंदी प्रणाली (Fortification System) अत्यंत सुदृढ़ थी। उन्होंने अनेक किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया, जो प्रशासनिक एवं सैन्य केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ये किले न केवल रक्षा के साधन थे, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण और संचार के केंद्र भी थे। इस प्रकार, उनकी सैन्य नीति ने राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की।

(य) सामाजिक एवं लोककल्याणकारी नीतियाँ :

शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनका लोककल्याणकारी दृष्टिकोण था। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को अत्यंत महत्व दिया और उनके सम्मान की रक्षा के लिए कठोर नियम बनाए। युद्ध के समय भी महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया गया (Sarkar, 1919)।

धार्मिक सहिष्णुता (Religious Tolerance) उनके शासन की एक प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया और किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न को प्रोत्साहित नहीं किया। इससे समाज में शांति और समरसता बनी रही।

इसके अतिरिक्त, शिवाजी ने प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। उनकी नीतियाँ इस प्रकार बनाई गई थीं कि सामान्य जनता को सुरक्षा, न्याय और आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सके। यह स्पष्ट करता है कि उनका शासन केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं था, बल्कि एक लोककल्याणकारी दृष्टिकोण से प्रेरित था।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ एक संतुलित, संगठित और

जनहितकारी शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनकी नीतियों में प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और नैतिकता का समन्वय देखने को मिलता है। यद्यपि उनका शासन आधुनिक वेलफेयर स्टेट के समान पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, फिर भी उसमें ऐसे अनेक तत्व विद्यमान थे, जो आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से मेल खाते हैं।

8. आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा :

आधुनिक राजनीतिक चिंतन में “कल्याणकारी राज्य” (Welfare State) की अवधारणा 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास को सुनिश्चित करना है। यह अवधारणा विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के पश्चात उत्पन्न सामाजिक असमानताओं, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान के रूप में विकसित हुई। कल्याणकारी राज्य का मूल आधार यह है कि राज्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाए (Marshall, 1950)।

इस अवधारणा को सैद्धांतिक रूप से विकसित करने में T. H. Marshall का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। Marshall (1950) ने नागरिकता को तीन प्रमुख आयामों—नागरिक (Civil), राजनीतिक (Political) और सामाजिक (Social) अधिकारों—में विभाजित किया। उनके अनुसार, सामाजिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शामिल है, जो किसी भी कल्याणकारी राज्य की आधारशिला होते हैं। इसी प्रकार, William Beveridge (1942) ने अपने प्रसिद्ध Beveridge Report में पाँच प्रमुख सामाजिक समस्याओं—गरीबी (Want), बीमारी (Disease), अज्ञानता (Ignorance), गंदगी (Squalor) और बेरोजगारी (Idleness)—को समाप्त करने के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका पर बल दिया। उन्होंने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की, जो नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझने के लिए इसके तीन प्रमुख आयामों—सामाजिक सुरक्षा, समानता और न्याय—का विश्लेषण आवश्यक है।

प्रथम, सामाजिक सुरक्षा (Social Security) कल्याणकारी राज्य का मूल तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अपने नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं—जैसे बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और दुर्घटनाओं—से सुरक्षा प्रदान करे। इसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएँ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाएँ शामिल होती हैं। सामाजिक सुरक्षा न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारती है, बल्कि समाज में स्थिरता और संतुलन भी स्थापित करती है (Beveridge, 1942)।

द्वितीय, समानता (Equality) कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका अर्थ केवल विधिक समानता (Legal Equality) तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता (Social and Economic Equality) को भी समाहित करता है। राज्य का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करे, जिससे समाज में असमानताओं को कम किया जा सके। इस संदर्भ में Marshall (1950) ने सामाजिक अधिकारों को समानता प्राप्त करने का प्रमुख साधन बताया है।

तृतीय, न्याय (Justice) कल्याणकारी राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। इसका आशय है कि राज्य एक निष्पक्ष और प्रभावी न्याय व्यवस्था स्थापित करे, जिससे सभी नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा प्राप्त हो सके। न्याय केवल विधिक प्रक्रिया तक

सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय (Social Justice) भी शामिल है, जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर बल देता है।

भारतीय संदर्भ में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संविधान में भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) नागरिकों के कल्याण, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियाँ इसी अवधारणा का परिणाम हैं (Austin, 1966)।

यदि इस अवधारणा की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उनका शासन आधुनिक अर्थों में पूर्ण विकसित कल्याणकारी राज्य नहीं था, फिर भी उसमें लोककल्याण, न्याय और सुरक्षा जैसे तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान थे। यह दर्शाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा केवल आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं में भी निहित हैं।

अतः, आधुनिक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें राज्य नागरिकों के जीवन के विभिन्न आयामों में सक्रिय हस्तक्षेप करते हुए उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। यह अवधारणा न केवल सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि एक स्थिर, समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

9. तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) :

छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियों और आधुनिक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों में कई समानताएँ एवं महत्वपूर्ण भिन्नताएँ विद्यमान हैं। यद्यपि दोनों का ऐतिहासिक और संरचनात्मक संदर्भ भिन्न है, फिर भी लोककल्याण, न्याय और शासन की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका जैसे तत्व दोनों में समान रूप से दिखाई देते हैं।

सारणी : 1

छत्रपति शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों एवं आधुनिक कल्याणकारी राज्य का तुलनात्मक विश्लेषण

आधार	शिवाजी की प्रशासनिक नीतियाँ	आधुनिक कल्याणकारी राज्य
लोककल्याण (Welfare)	प्रजा के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता, सुरक्षा एवं स्थिरता पर बल	राज्य द्वारा योजनाओं के माध्यम से व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण
सामाजिक सुरक्षा	प्रत्यक्ष योजनाओं का अभाव, परंतु सुरक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था	पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाएँ
समानता (Equality)	व्यवहारिक समानता, सीमित सामाजिक सुधार	संवैधानिक एवं विधिक समानता

न्याय (Justice)	त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय	संस्थागत एवं विधिक न्याय प्रणाली
प्रशासनिक संरचना	अष्टप्रधान मंडल एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था	लोकतांत्रिक एवं ब्यूरोक्रेटिक संरचना
धार्मिक दृष्टिकोण	धार्मिक सहिष्णुता	धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
राज्य की भूमिका	संरक्षक एवं रक्षक	सक्रिय कल्याणकारी एवं विकासात्मक राज्य

समानताएँ :

प्रथम, दोनों व्यवस्थाओं में लोककल्याण (Public Welfare) को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। शिवाजी के शासन में प्रजा की सुरक्षा, न्याय और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई, जबकि आधुनिक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ संचालित करता है (Sarkar, 1919)।

द्वितीय, न्याय और उत्तरदायित्व दोनों प्रणालियों के प्रमुख तत्व हैं। शिवाजी की न्याय व्यवस्था त्वरित और निष्पक्ष थी, जबकि आधुनिक राज्य में यह कार्य विधिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

तृतीय, धार्मिक सहिष्णुता दोनों में समान रूप से विद्यमान है। शिवाजी ने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखा, जबकि आधुनिक राज्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है।

भिन्नताएँ (Differences) :

यद्यपि कुछ समानताएँ हैं, फिर भी दोनों प्रणालियों में महत्वपूर्ण अंतर भी हैं।

प्रथम, संरचनात्मक अंतर स्पष्ट है। शिवाजी का शासन एक राजतंत्रीय (Monarchical) व्यवस्था थी, जबकि आधुनिक वेलफेयर स्टेट लोकतांत्रिक (Democratic) व्यवस्था पर आधारित है।

द्वितीय, सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप भिन्न है। शिवाजी के समय औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नहीं थीं, जबकि आधुनिक राज्य पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है (Beveridge, 1942)।

तृतीय, समानता की अवधारणा में अंतर है। शिवाजी के शासन में व्यवहारिक समानता थी, परंतु आधुनिक राज्य में संवैधानिक एवं विधिक समानता को सुनिश्चित किया गया है (Marshall, 1950)।

आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Evaluation) :

तुलनात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के “प्रारंभिक रूप” (Proto-type) के रूप में देखी जा सकती हैं। उनके शासन में लोककल्याण, न्याय और सुरक्षा जैसे तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान थे, जो आधुनिक वेलफेयर स्टेट के मूल सिद्धांतों से मेल खाते हैं।

हालाँकि, यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि शिवाजी का शासन अपने समय और परिस्थितियों के अनुरूप था, जिसमें आधुनिक संस्थागत ढाँचे और नीतिगत तंत्र का अभाव था। आधुनिक वेलफेयर स्टेट अधिक विकसित, संस्थागत और व्यापक रूप में कार्य करता है।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिवाजी की नीतियाँ आधुनिक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों की पूर्वपीठिका (Foundation) के रूप में देखी जा सकती हैं, जो भारतीय ज्ञान परम्परा में निहित लोककल्याणकारी विचारधारा को दर्शाती हैं।

10. निष्कर्ष एवं सुझाव :

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ अपने समय के संदर्भ में अत्यंत प्रगतिशील, संगठित एवं लोककल्याणकारी थीं। उनका शासन केवल राजनीतिक सत्ता के विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रजा के संरक्षण, न्याय और समृद्धि को केंद्र में रखकर संचालित किया गया। अष्टप्रधान मंडल के माध्यम से सुव्यवस्थित प्रशासन, किसानों के हित में संतुलित कर व्यवस्था, त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली तथा सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता जैसे तत्व उनके शासन की प्रमुख विशेषताएँ थीं (Sarkar, 1919; Sardesai, 1968)।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिक “कल्याणकारी राज्य” की अवधारणा, जिसे T. H. Marshall (1950) और William Beveridge (1942) ने सैद्धांतिक रूप प्रदान किया, उसके कई मूलभूत तत्व—जैसे सामाजिक न्याय, लोककल्याण, सुरक्षा और समानता—शिवाजी के प्रशासन में प्रारंभिक रूप में विद्यमान थे। यद्यपि उनका शासन आधुनिक अर्थों में पूर्ण विकसित वेलफेयर स्टेट नहीं था, फिर भी उसमें “लोककल्याणकारी शासन” की स्पष्ट झलक मिलती है।

तुलनात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिवाजी की प्रशासनिक नीतियाँ आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की एक ऐतिहासिक पूर्वपीठिका (Proto-type) के रूप में देखी जा सकती हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान परम्परा के राजधर्म एवं “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” जैसे सिद्धांतों को व्यवहार में उतारते हुए एक ऐसे शासन का निर्माण किया, जिसमें नैतिकता, उत्तरदायित्व और जनकल्याण का समन्वय था।

हालाँकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आधुनिक वेलफेयर स्टेट अधिक व्यापक, संस्थागत और लोकतांत्रिक ढाँचे पर आधारित है, जबकि शिवाजी का शासन राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित था। इसके बावजूद, उनके प्रशासनिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और समकालीन शासन के लिए प्रेरणास्रोत प्रदान करते हैं।

11. उपसंहार :

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ लोककल्याण, न्याय और उत्तरदायित्व पर आधारित थीं, जिनमें आधुनिक कल्याणकारी राज्य के अनेक मूल तत्व प्रारंभिक रूप में विद्यमान थे। यद्यपि उनका शासन आधुनिक संस्थागत ढाँचे से भिन्न था, फिर भी उसकी मूल भावना आज के सुशासन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अतः शिवाजी का प्रशासन भारतीय ज्ञान परम्परा में निहित एक आदर्श लोककल्याणकारी शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

संदर्भ सूची :

1. ऑस्टिन, जी. (1966). द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. बेवरेज, डब्ल्यू. (1942). सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज. लंदन: एचएमएसओ (HMSO)।

3. चंद्र, सतीश. (2004). मध्यकालीन भारत: सल्तनत से मुगलों तक. नई दिल्ली: हर-आनंद पब्लिकेशंस
4. देशमुख, ए. (2012). शिवाजी की प्रशासनिक प्रणाली (पीएचडी शोध प्रबंध). पुणे विश्वविद्यालय
5. कौटिल्य. (2011). अर्थशास्त्र (एल. एन. रंगराजन, अनुवादक). नई दिल्ली: पेंगुइन बुक्स
6. कुलकर्णी, आर. (2018). शिवाजी का राजनीतिक चिंतन एवं प्रशासन (पीएचडी शोध प्रबंध). शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुरा
7. मार्शल, टी. एच. (1950). नागरिकता और सामाजिक वर्ग. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
8. पाटिल, एस. (2015). शिवाजी के अधीन राजस्व एवं सैन्य प्रशासन (पीएचडी शोध प्रबंध). मुंबई विश्वविद्यालय
9. सरकार, जदुनाथ. (1919). शिवाजी और उनका युग. लंदन: लॉन्गमैन्स, ग्रीन एंड कंपनी
10. सरदेसाई, जी. एस. (1968). मराठों का नया इतिहास. बॉम्बे: फीनिक्स पब्लिकेशंस
11. शर्मा, आर. एस. (2005). प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
12. वेबर, मैक्स. (1978). अर्थव्यवस्था और समाज. बर्कले: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस

